

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),

जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 142/2005 (आरसीएमएस संख्या : 2005/00055)

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री हरिनारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जयपुर। (मृतक)
 - 1/1 पुरुषोत्तम पुत्र स्व० श्री सीताराम, जाति-ब्राह्मण, निवासी-प्लाट नं० 101 न्यू खारड़ा कॉलोनी, अजमेर रोड़, भांकरोटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
 - 1/2 कैलाश पुत्र स्व० श्री सीताराम जाति-ब्राह्मण, निवासी निवासी-प्लाट नं० 101 न्यू खारड़ा कॉलोनी, अजमेर रोड़, भांकरोटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
 - 1/3 हनुमान पुत्र स्व० श्री सीताराम जाति-ब्राह्मण, निवासी-प्लाट नं० 101 न्यू खारड़ा कॉलोनी, अजमेर रोड़, भांकरोटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 23.12.2019


तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-गोपालपुरा की आराजी खसरा नं० 434 रकबा 2 बीधा 11 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर पुजारी रुघनाथ वल्द गणेश कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर पुजारी रुघनाथ वल्द गणेश कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर के बजाय सीताराम पुत्र हरिनारायण, जाति-ब्राह्मण के नाम दर्ज हो गई। माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्ररमाये जावे।



उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 के कॉलम सं0 03 थोक पट्टी मय नाम पटेलान में माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर पुजारी रुघनाथ वल्द गणेश कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये सीताराम पुत्र हरिनारायण के नाम दर्ज होने के फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में सीताराम पुत्र हरिनारायण के नाम दर्ज है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने परोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011-2030 में माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर पुजारी रुघनाथ वल्द गणेश कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो



सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर पुजारी रुघनाथ वल्द गणेश कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर पुजारी रुघनाथ वल्द गणेश कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में निजी खातेदारी अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री सुन्दरी माताजी विराजमान जयपुर के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



श.ति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर